R 1145-II/2006

भरत कुमार पुत्र श्री राजकुमार सिंह रघुवंशी
निवासी– ग्राम सजाई तहसील कोलारस जिला
शिवपुरी (म. प्र.)

पुनरीक्षणकर्ता

वनाम

सहाब सिंह पुत्र श्री अबतार सिंह सिक्ख,
निवासी– ग्राम सजाई तहसील कोलारस जिला
शिवपुरी (म. प्र.)

रेस्पोन्डेन्ट

ए. के. शर्मा एडवोकेट द्वारा आज दि. 1-7-06 को प्रस्तुत।

A.K. Sharma Adv.

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 म. प्र. भू राजस्व संहिता जो अपर आयुक्त महोदय ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.05.06 से दुखित होकर प्रस्तुत की जा रही है।

पुनरीक्षणकर्ता की ओर से यह पुनरीक्षण निम्नानुसार सादर प्रस्तुत है :–

(1) यहकि अपर आयुक्त एवं अनुविभागीय अधिकारी महोदय का विवादित आदेश अवैध अनुचित एवं अनियमित होकर निरस्त किये जाने योग्य है।

(2) यहकि, अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण के तथ्यों तथा पुनरीक्षण कर्ता की ओर से प्रस्तुत तर्को को पूर्णत अनदेखा कर विवादित आदेश पारित किया है जो स्थिर रखे जाने योग्य नही है ।

(3) यहकि, प्रकरण में विवादित भूमि पुनरीक्षणकर्ता के स्वत्व एवं आधिपत्य में निरन्तर चली आ रही है । बिना साक्ष्य लिये तथा गहन जांच किये बिना जो निष्कर्ष अधीनस्थ न्यायालय ने निकाले है वे मनमाने है ।

(4) यहकि, पुनरीक्षणकर्ता का नामांतरण दिनांक 18.10.1989 को किया गया था । नामांतरण आदेश के लगभग 13 वर्ष पश्चात प्रस्तुत अपील नितान्त समयबाधित थी । ऐसी अपील को ग्राहय करने में एवं स्वीकार करने में अपीलीय न्यायालय ने अपने विचाराधिकार का उचित प्रयोग नही किया है जिस कारण से आलोच्य आदेश निरस्त किये जाने योग्य है ।

(5) यहकि, पुनरीक्षणकर्ता के हित में सहायक बन्दोबस्त अधिकारी द्वारा दिनांक 18.10.89 को आदेश दिया गया था । सहायक बन्दोबस्त अधिकारी के आदेश के बिरुद्व अनुविभागीय अधिकारी को अपील सुनने का विचाराधिकार ही नही था । विवादित आदेश शून्यवत् है ।

R 1145-II/06

23.9.15	आवेदक पूर्व पेशी दिनांक 5.12.13, 21.8.14, 12.5.14, 21.7.15, 29.9.14, 30.12.14, 5.1.15, 1.5.15, 5.9.15 से अनुपस्थित है। आज आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। प्रकरण वर्ष 2006 से लंबित है। ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक को प्रकरण के संचालन में कोई रुचि नहीं है। उचित परिस्थिति में प्रकरण रुचि न लेने के कारण समाप्त किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड वापस किया जाए। प्रकरण दा.द. हो। (हस्ताक्षर)

[कृ.प.उ.